

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

अधिसूचना

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशिक्षण-09/2013/.....2831...../राँची, दिनांक 24-5-13

अधीक्षण अभियंता योजना आयोजन अंचल (सम्प्रति उड़नदस्ता), राँची के कार्यालय का नाम संशोधित कर योजना आयोजन अंचल (सम्प्रति उड़नदस्ता एवं प्रशिक्षण), राँची किया जाता है। उनके अपने वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त प्रशिक्षण का दायित्व निम्न प्रकार होंगे:-

(क) विभागीय अभियंताओं के प्रशिक्षण की योजना तैयार कर उसे कार्यान्वित करना।

2. इस हेतु विभागीय बजट के प्रशिक्षण मद में उपलब्ध बजटीय उपबंध का वे उपयोग कर सकेंगे और उनके द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति के उपरान्त उन्हें इस मद में राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से।

(सीता कान्त झा)

सयुक्त सचिव (प्रबंधन)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशिक्षण-09/2013/.....2831...../राँची, दिनांक 24-5-13
प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के परामर्शी, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग राँची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख-I/II जल संसाधन विभाग, राँची/सभी मुख्य अभियंता, (लघु सिंचाई सहित) जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग, राँची/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता योजना आयोजन अंचल (सम्प्रति उड़नदस्ता)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सीता कान्त झा)

सयुक्त सचिव (प्रबंधन)